न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : विनय पाठक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 19/2017 दायर दिनांक–01.08.2017
निर्णय दिनांक–24.01.2019

श्री नाथा पिता विरजी बामणिया निवासी बोरमाता तहसील चिखली जिला डूंगरपुर

.....प्रार्थीगण

बनाम

श्री कालु पिता शंभू बामणिया निवासी बोरमाता तहसील चिखली वगैराह (11) जिला डूंगरपुर

.....विपक्षीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :

1.श्री नरेश जोशी अभिभाषक वास्ते प्रार्थीगण
2.श्री अल्लाहनूर मंसुरी अभिभाषक वास्ते वि.स. 1 से 8
3.श्री प्रकाशचन्द्र परमार वि.स. 9
4.राजकीय पेराकार

निर्णय

इस प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बोरमाता की हाल आराजी नंबर 716 रकबा 2.06 बीघा भूमि का विक्रय रेस्पो. 1 से 8 के द्वारा रेस्पों नं. 9 को कर देने से उसका नामान्तरकरण संख्या 241 दिनांक 5.09.2016 को जो रेस्पो. संख्या 9 बसन्तीदेवी पत्नि अरूण बामणिया मीणा निवासी बोरमाता के नाम से तहसीलदार चिखली के द्वारा प्रमाणित किया गया है उसे निरस्त करने एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा मे दर्ज प्रकरण संख्या 39/2008 मे पारित निर्णय दिनांक 30.01.2011 के अनुसार अपीलान्ट के नाम से नामान्तरकरण दर्ज कराने हेतु अपीलान्ट की ओर से यह अपील पेश की गयी है।

प्रकरण इस न्यायालय मे पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पों. को वास्ते जवाबदेही हेतु जरिये नोटीस के तलब किये गये। रेस्पों. के द्वारा अपनी ओर से जवाब पेश करते हुए बताया है कि अपीलान्ट एवं रेस्पों. एक ही परिवार के होकर मावला पिता हलिया की संतान है। मावला के 6 पुत्र वीरजी, हवजी,धीरा,गोरजी,हीरा एवं हुरजी थे। जिनके बिच विरासती भूमि की आराजी का प्रथम सेटलमेन्ट मे एक दूसरे के खाते मे अंकित आराजी का बटवारा हुआ एवं संवत् 2022 मे उनके खाते मे आई है। जिनको अपीलान्ट ने छिपा कर गलत तरीके से निर्णय पारित करवाया है मौके पर आज भी कब्जा रेस्पों. नंबर 1 से 8 का एवं उनके द्वारा विक्रय कर दिये जाने से रेस्पों. नंबर 9 का कब्जा बना हुआ है रेस्पों. के हिस्से मे आई आराजी खाते मे दर्ज होने से इस आराजी के रेस्पों. मालिक होकर काबिज है इसलिये उन्हे अपने खाते की भूमि का विक्रय पत्र सम्पादित करने का पूर्ण रूप से अधिकार होने से रेस्पो. नं.9 को विक्रय पत्र संपादित करवाया है एवं वर्तमान मे रेस्पों. 9 के नाम से नामान्तरकरण के जरिये

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

खाते मे दर्ज हुई है वह उस भूमि पर काबिज है नामान्तरकरण रेवेन्यु रेकार्ड एवं कब्जे के आधार पर खोला गया है। इसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही की गयी है। अतः अपीलान्ट की अपील बिना किसी ठोस आधार के होने से सव्यय खारिज किया जाना फरमावे एवं नामान्तरकरण संख्या 241 दिनांक 05.09.2016 को यथावत रखने का आदेश फरमाया जावें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं बहस उभयपक्षों की समयात की गयी।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी ओर से बताया है कि उक्त विवादित आराजी की भूमि के संबंध मे उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा के न्यायालय मे अपीलान्ट ने वाद पेश किया था, जिसमे रेस्पों. नं. 1 से 8 भी पक्षकार थे उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा के न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरण संख्या 39/08 मे पारित निर्णय दिनांक 31.01.2011 के द्वारा उक्त खसरा नंबर 716 रकबा 2.06 बीघा भूमि अपीलान्ट के नाम से दर्ज करने एवं खातेदार काश्तकार घोषित करने का आदेश पारित किया गया, उक्त निर्णय के विरूद्व रेस्पों. द्वारा कोई अपील भी पेश नही की गयी। निर्णय की जानकारी रेस्पों. संख्या 1 से 8 को होने के बावजूद भी रेस्पों. उपरोक्त भूमि के मालिक नही होते हुए भी निर्णय के पश्चात मात्र खाते मे नाम के आधार पर विपक्षी संख्या 9 को दिनांक 17.08.2016 को उप पंजियक कार्यालय चिखली मे विकय कर दी गयी। रेस्पों. सख्या 1 से 8 को उक्त भूमि का विकय करने का कोई विधिक अधिकार नही था। अपीलान्ट द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 31.01.2011 की पालना कराने हेतु दिनांक 16.08.2016 को न्यायालय मे इजरा प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसका प्रकरण संख्या 15/2016 होकर निर्णय की पालना हेतु पत्र पटवारी साकोदरा को भेजा जा चुका है, लेकिन पटवारी हल्का द्वारा जानबुझ कर न्यायालय के आदेश की पालना नही की जाकर न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है। अतः नामान्तरकरण संख्या 241 प्रमाणित दिनांक 05.09.2016 को निरस्त करने तथा उपखण्ड अधिकारी, सीमलवाडा के निर्णयानुसार अपीलान्ट के नाम से नामान्तरकरण खोलने का आदेश पारित किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पों. ने अपनी ओर से बताया है कि अपीलान्ट एवं रेस्पों. एक ही परिवार के होकर मावला पिता हलिया की संतान है। मावला के 6 पुत्र वीरजी, हवजी,धीरा,गोरजी,हीरा एवं हुरजी थे। जिनके बिच विरासती भूमि की आराजी का प्रथम सेटलमेन्ट मे एक दूसरे के खाते मे अंकित आराजी का बटवारा हुआ एवं संवत् 2022 मे उनके खाते मे आई है। जिनको अपीलान्ट ने छिपा कर गलत तरीके से निर्णय पारित करवाया है मौके पर आज भी कब्जा रेस्पों. नंबर 1 से 8 का एवं उनके द्वारा विकय कर दिये जाने से रेस्पों. नंबर 9 का कब्जा बना हुआ है रेस्पों. के हिस्से मे आई आराजी खाते मे दर्ज होने से इस आराजी के रेस्पों. मालिक होकर काबिज है इसलिये उन्हे अपने खाते की भूमि का विकय पत्र सम्पादित करने का पूर्ण रूप से अधिकार होने से रेस्पो. नं.9 को विकय पत्र संपादित करवाया है एवं वर्तमान मे रेस्पों. 9 के नाम से नामान्तरकरण के जरिये खाते मे दर्ज हुई है वह उस भूमि पर काबिज है नामान्तरकरण रेवेन्यु रेकार्ड एवं कब्जे के आधार पर खोला गया है। इसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही की गयी है। अतः अपीलान्ट की अपील बिना किसी ठोस आधार के होने से सव्यय खारिज किया

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

जाना फरमावे एवं नामान्तरण संख्या 241 दिनांक 05.09.2016 को यथावत रखने का आदेश फरमाया जावें।

हमारे द्वारा इस न्यायालय की पत्रावली का एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर एवं उभय पक्षों की ओर से बहस मे दी गयी दलीलो पर गोर से मनन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्राम बोरमाता के हाल खसरा नंबर 716 रकबा 2.06 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करने हेतु अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88,188,209 आर.टी.ए के तहत एवं धारा 136 एल.आर एक्ट के तहत उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा के न्यायालय मे पेश किया था। उपखण्ड न्यायालय मे दर्ज प्रकरण संख्या 39/2008 मे रेस्पों. नम्बर 1 से 8 भी प्रतिवादी के रूप मे पक्षकार थे एवं उभयपक्षों की सुनवाई के पश्चात उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.2011 के द्वारा वाद वादी (अपीलान्ट) के पक्ष मे डिक्री पारित करते हुए उक्त प्रतिवादीगण के इन्द्राज को विलोपित करने एवं आराजी नंबर 716 रकबा 2.06 बीघा पर वादी (अपीलान्ट) नाथा पिता विरजी बामणिया को खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी घोषित करने के आदेश पारित किये गये। उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा के आदेश की पालना मे अपीलान्ट (वादी) ने इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन पटवारी के द्वारा उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा के निर्णयानुसार वादी (अपीलान्ट) के नाम से नामान्तरकरण दर्ज नही किया गया। उसी दौरान रेस्पों. ने रेकार्ड मे अपना नाम दर्ज होने से उक्त भूमि को रेस्पों. न. 9 को बेचान कर दी गयी एवं उसके आधार पर रेस्पों. नं. 9 के नाम से नामान्तरकरण संख्या 241 दिनांक 05.09.2016 को तहसीलदार के द्वारा प्रमाणित भी कर दिया गया। जबकि उक्त प्रकरण मे तहसीलदार स्वयं पक्षकार था, ऐसी स्थिति मे तहसीलदार को नामान्तरकरण को प्रमाणित नही करना चाहिये था। रेस्पों. संख्या 1 से 8 को उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा के निर्णय की जानकारी हो एवं उसमे पक्षकार होते हुए भी उक्त भूमि का विक्रय रेस्पों. नं. 9 को विक्रय कर दी गयी जो नियमो के विपरीत है ऐसी स्थिति मे उक्त विक्रय पत्र **Null and Void** होकर **Ab-initio** है यानि उक्त विक्रय पत्र प्रारंभ से ही शून्य एवं बेसर है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट की स्वीकार करते हुए रेस्पों. नम्बर 9 बसन्तीदेवी पत्नि अरूणा बामणिया मीणा निवासी बोरमाता के नाम से दायर नामान्तरकरण संख्या 241 दिनांक 05.09.2016 को निरस्त किया जाता है एवं उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा के द्वारा प्रकरण संख्या 39/08 मे पारित निर्णय के अनुसार अपीलान्ट के नाम से बोरमाता की आराजी नंबर 716 रकबा 2.06 बीघा भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम से दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णयानुसार पालना करने हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार चिखली को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनय पाठक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर